

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक
सरगुजा रेंज, सरगुजा, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)

-:: आदेश ::-

सरगुजा रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड (रेंज बोर्ड) के निर्णय अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के समुद्र दर्शित इकाई में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित किया जाता है :-

क्र.	पदनाम/वैच नं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान इकाई	नवीन पदस्थापना इकाई
1	2	3	4	5
1.	स.उ.नि.	चमख राम पैंकरा	पीटीएस मैनपाट	जिला सूरजपुर
2.	स.उ.नि.	कमला राम केरकेटा	जिला सूरजपुर	पीटीएस मैनपाट
3.	आर.क्र. 421	पंचराम ध्रुव	जिला बल.-रा.गंज	जिला सरगुजा
4.	आर.क्र. 838	नरसिंह लाल नेताम	जिला सरगुजा	जिला बल.-रा.गंज
5.	आर.क्र. 609	आनंद प्रताप सिंह	जिला एम.सी.बी.	जिला कोरिया
6.	आर.क्र. 484	नंद कुमार सिंह	जिला कोरिया	जिला एम.सी.बी.
7.	आर.क्र. 63	महेश कुमार	जिला सरगुजा	जिला कोरिया
8.	म.आर.क्र. 394	प्रतिमा तिर्की	जिला कोरिया	जिला सरगुजा
9.	आर.क्र. 699	योगेश सिंह	जिला सूरजपुर	जिला कोरिया
10.	आर.क्र. 147	अजित राजवाड़े	जिला कोरिया	जिला सूरजपुर
11.	आर. चालक 141	रमेश कुमार साहू	जिला एम.सी.बी.	जिला कोरिया
12.	आर. चालक 109	नोहर सिंह	जिला कोरिया	जिला एम.सी.बी.
13.	आर.क्र. 62	रामेश्वर प्रसाद साहू	जिला सरगुजा	जिला कोरिया
14.	आर.क्र. 635	नंद लाल टोप्पो	जिला कोरिया	जिला सरगुजा
15.	आर.क्र. 740	शिवमूरत किण्डो	जिला सूरजपुर	जिला सरगुजा
16.	आर.क्र. 624	अनिल शर्मा	जिला सरगुजा	जिला सूरजपुर

- नोट :-**
01. उपरोक्त सभी स्थानांतरण संबंधित कर्मचारियों के आपसी सहमति के लिखित आवेदन के आधार पर किये गए हैं। अतएव शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार उन्हें स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता तथा पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी।
 02. उपरोक्तानुसार स्थानांतरित कर्मचारियों का स्थानांतरित इकाई में संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता हेतु दावा नहीं रहेगा। वरिष्ठता निर्धारण हेतु छ.ग. शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रचलित नियमों का पालन किया जावेगा। संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानांतरित कर्मचारी से इस संबंध में अण्डर-टेकिंग प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना इकाई हेतु रवानगी दी जाए। इस प्रयोजन हेतु रेंज बोर्ड द्वारा अण्डर-टेकिंग का प्रारूप अनुमोदित किया गया।

03. निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानांतरित कर्मचारी को संबंधित इकाई के लिए रवानगी न दी जाकर पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेज कार्यालय को सूचित किया जाए। एवं इन परिस्थितियों में दोनों स्थानांतरित कर्मचारियों का स्थानांतरण निरस्त माना जावे।

(क) यदि उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया गया हो।

(ख) यदि किसी स्थानांतरित कर्मचारी के विस्तृद्व विभागीय जांच/शिकायत जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हो।

(ग) यदि किसी कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र के आधार पर उसका स्थानांतरण किया गया है एवं वर्तमान में वह स्थानांतरण पर जाना नहीं चाहता है।

Ramal 21/7/23
(राम गोपाल गग)
पुलिस महानिरीक्षक
सरगुजा रेज

क्रमांक/ पुमनि/सर/स्था/३८० /2023

दिनांक- 24.07.2023

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, छ.ग., रायपुर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, छ.ग., रायपुर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा/सूरजपुर/बलरामपुर/जशपुर/कोरिया/एम.सी.बी./पी.टी.एस. मैनपाट की ओर सूचनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Ramal 21/7/23
पुलिस महानिरीक्षक
सरगुजा रेज